

प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 01.09.2023

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 216/23 में वांछित 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस व 03 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराब आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 216/23 में वांछित अभियुक्त कल्लू उर्फ कुलवीर पुत्र स्व0 मिहीलाल पाल निवासी अहुपुर थाना शमसाबाद को दिनांक 01.09.2023 को घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर मु0अ0सं0- 222/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



दिनांक- 30.08.2023 को आवेदक श्री सन्तोष पाल पुत्र मिहीलाल पाल नि० अहुपुर देहामाफी थाना शमसाबाद द्वारा जमीन के इकरारनामा के पैसे के विवाद को लेकर मु०अ०सं०- 216/23 धारा- 307/504/506 भादवि बनाम जितेन्द्र उर्फ लल्ला सिंह व कुलदीप पुत्रगण स्व० प्रताप सिंह निवासीगण अहुपुर देहामाफी थाना शमसाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। मुकदमा उपरोक्त की तमामी विवेचना एवं मेडिकल रिपोर्ट, बयान गवाहन आदि से साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के वादी के भाई कल्लू उर्फ कुलवीर पुत्र स्व० मिहीलाल पाल निवासी अहुपुर थाना शमसाबाद ने विपक्षी जितेन्द्र उर्फ लल्ला सिंह व कुलदीप उपरोक्त को फंसाने के लिए स्वयं बाये पैर में तमंचे से गोली मार ली थी। जिसे आज दिनांक 01.09.2023 को घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर मु०अ०सं०- 222/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. कल्लू उर्फ कुलवीर पुत्र स्व० मिहीलाल पाल निवासी अहुपुर थाना शमसाबाद।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि जितेन्द्र उर्फ लल्ला सिंह व कुलदीप पुत्रगण स्व० प्रताप सिंह निवासीगण अहुपुर देहामाफी थाना शमसाबाद के मुझ पर 1 लाख रुपये थे जो मुझसे बार-बार माँग रहे थे उनको पैसे न देने पड़े एवं उनको झूठा फंसाने के लिए मैंने खुद के पैर में स्वयं तमंचे से गोली मार ली थी। घटना से सम्बन्धित तमंचा कारतूस के बारे में पूछने पर बताया कि घटना के बाद मैं जहाँ गाँव के बाहर झाड़ियों में छिपा बैठा था तमंचा कारतूस वही झाड़ियों में छिपा दिया था। जो आपको मैंने बरामद करा दिया है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस व 03 खोखा कारतूस 315 बोर।

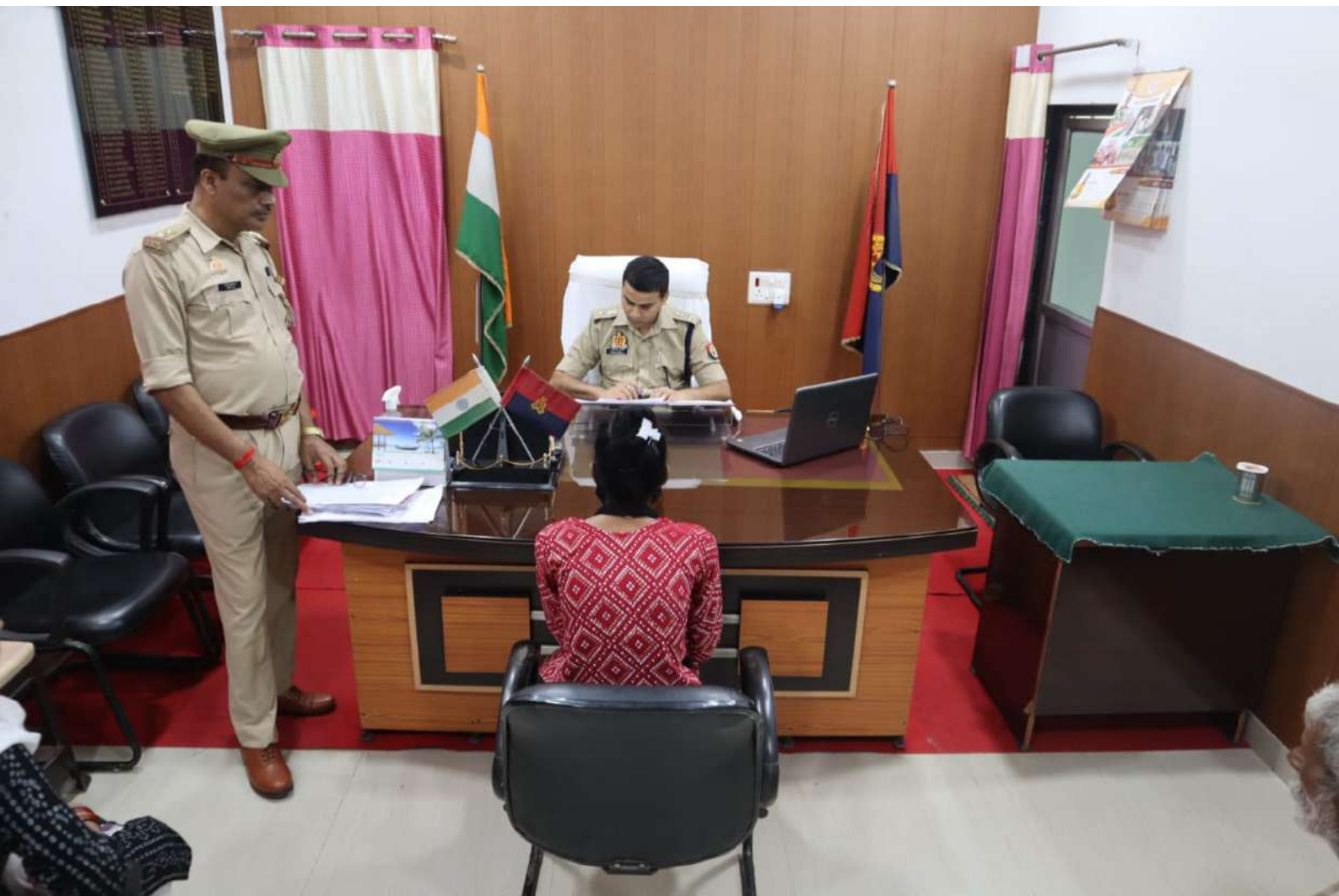
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं०- 216/23 धारा- 307/504/506 भादवि थाना शमसाबाद।
2. मु०अ०सं०- 222/23 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी, | 2. उ०नि० संजय कुमार राय |
| 3. का० गौरव कुमार, | 4. का० उमेश शर्मा |

मीडिया सेल फतेहगढ़





GPS Map Camera
Shamshabad, Uttar Pradesh, India
GCMQ+GGQ City Garden NP Shamshabad, MDR-21W, Shamshabad, Uttar Pradesh 209503, India
Lat: 27.633142°
Long: 79.438875°
01/08/23 10:38 AM GMT+05:30





